संख्या-4/2018/398/एक-4-2018

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:28 फरवरी,2018**

विषयः- रिट याचिका संख्या-12 (एम०एस०)/2018 तसनीम अख्तर बनाम उ०प्र० राजस्व व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-12 (एम०एस०)/2018 तसनीम अख्तर बनाम उ०प्र० राजस्व व अन्य में दिनांक 13-02-2018 को सुनवाई के समय मा० न्यायालय द्वारा परिर्वतन (mutation) एवं चिंन्हाकन (demarcation) के काफी समय से लम्बित वादों के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए चिंन्हाकन (demarcation) के सम्बन्ध मे गतिमान कार्यवाही की प्रगति के सम्बन्ध मे जिज्ञासा व्यक्त की गयी। अत: कृपया राजस्व ग्रामों के मध्य चिंन्हाकन (demarcation) के सम्बन्ध मे गतिमान कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश के राजस्व न्यायालयों मे परिवर्तन (mutation) एवं चिंन्हाकन (demarcation) के सम्बन्ध में योजित वादों की सूचना, दायर होने की तिथि एवं लम्बित रहने के कारणो की स्थिति स्पष्ट करते हुए समेकित सूचना शासन को एक पक्ष में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 20-03-2018 को सूचीबद्ध है, जिसमें मा० न्यायालय के सहयोग हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की उपस्थिति निर्धारित है। अत: शीघ्रता/समबद्धता अपेक्षित है।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

h tp://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।